# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0(0135) – 2713551


संख्या–2332/xxv– 12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 30 नवम्बर, 2023

## सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरंण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
ऊधमसिंह नगर।

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–791 दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के साथ संलग्न श्री लक्ष्मी अग्रवाल, 108, स्ट्रीट–6 लेन न0–2 राजेन्द्र नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड का अनुरोध पत्र दिनांक रहित जो इस कार्यालय में दिनांक 30.11.2023 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अनुरोध पत्र में वांछित सूचनायें आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने कार्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्न–यथोपरि।**

**भवदीय,**

**अपीलीय अधिकारी का पता**
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0न0–9897995591

B S Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0–9411740189

**पृ0संख्या–2332/xxv– 12(P-14) /2021, तददिनांक।**

प्रतिलिपि– श्री लक्ष्मी अग्रवाल, 108, स्ट्रीट–6 लेन न0–2 राजेन्द्र नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

B S Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी।

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

प्राप्त 30/11/23

पत्रवाहक / पंजीकृत

# राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या–791 / सू0काअ0 / 3050 / 2021 दिनांक 24 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2023

"सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण"

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री लक्ष्य अग्रवाल, 108, स्ट्रीट–6, लेन न0–2, राजेन्द्र नगर देहरादून द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित अनुरोध–पत्र दिनांकरहित राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड में दिनांक 22.11.2023 को प्राप्त हुआ है तथा अनुरोधकर्ता द्वारा नियमानुसार रू0 10.00 का भारतीय पोस्टल आर्डर भी आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

चूंकि उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचनाएं आपके विभाग से संबंधित हैं, अतएव् सन्दर्भित अनुरोध पत्र की मूलप्रति आपको इस आशय से अंतरित की जा रही है कि अनुरोध–पत्र में वांछित सूचनाएं नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजुकमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।
मो0 7302254903

संख्या–791 / सू0काअ0 / 3050 / 2021 तद्दिनांक। (पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री लक्ष्य अग्रवाल, 108, स्ट्रीट–6, लेन न0–2, राजेन्द्र नगर जिला देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजुकमार वर्मा)
सहायक आयुक्त /
लोक सूचना अधिकारी।

श्री बडोनी

कृ. PIO, कार्यालय मु. नि. अ. को अन्तरित करने हेतु पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

22.11.2023

(राज कुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,

राज्य निर्वाचन आयोग,

उत्तराखंड,

देहरादून।

महोदय,

सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत कृपया निम्न सूचना प्रदान करने का कष्ट करें सूचना विधिवत रूप से एवं नियम अनुसार ₹10 का सूचना शुल्क पोस्टल आर्डर संख्या निम्न विवरण इस पत्र के साथ सलंग्न कर मांगी गई है।

आपके माध्यम से जो सूचना प्रदान की जानी है उसका विवरण इस प्रकार है। सूचना लोकहित में है।

(1) महोदय काशीपुर विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड / उत्तर प्रदेश में सन 1990 से आज तक हुए उक्त विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विधानसभा चुनाव के निर्वाचन /नामांकन के संबंध में कृपया निम्न सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

(क)सन 1990 से आज तक श्री राजीव अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल निवासी मोहल्ला सिंघान काशीपुर , वर्तमान पता- तराई इंजीनियरिंग उद्योग , माता मंदिर रोड, मुखर्जी नगर काशीपुर के द्वारा अब तक काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी विधायक चुनाव लड़ने हेतु जब जब भी नामांकन पत्र दाखिल किया गया हो तो प्रत्येक नामांकन का विवरण प्रदान करने का कष्ट करें।

(2) राजीव अग्रवाल द्वारा अब तक काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के चुनाव हेतु कुल कितने बार चुनाव लड़ा गया है कृपया सूचित करने का कष्ट करें।

(3 )श्री राजीव अग्रवाल द्वारा कितनी बार चुनाव में दर्ज की गयी? जीत के संदर्भ में कृपया सूचित करने का कष्ट करें तथा साथ में यह भी सूचित करें कि किस किस वर्ष में राजीव अग्रवाल पुत्र धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल निवासी मोहल्ला सिंघान काशीपुर विधानसभा क्षेत्र द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं या निर्वाचित हुए हैं।

पोस्टल आर्डर नं० 2 19 750907 — 1/-
321 984707 — 2/-
516 077407 — 7/-
10/-

Received 22/11/23

NAHRD

Email : info@nahrd.in
Website : www.nahrd.in
Ph. : (011) 41678044/45

Ref: RTI/03/24

20.11.2023

Public Information Officer (PIO under RTI Act)
Uttarakhand Chief Electoral Officer of Government
4 Subhash Road, North Block, Secretariat, Dehradun,
Uttarkhand-248001

**WORKSHOP ON RIGHT TO INFORMATION ACT AT MUSSOORIE, UTTARAKHAND**

**N**ational **A**cademy of **H**uman **R**esource **D**evelopment (NAHRD) was established to deliver competency-enhancing learning to officials of Central Govt., State Govt., Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies, Banks, Insurance Companies, etc. We have organized large number of workshops in the past, which have been very well attended and appreciated by officials of various organizations.

A workshop on **Right to Information Act** is being organized by NAHRD from **03.03.2024 to 06.03.2024** at **Mussoorie, Uttarakhand**.

Section 26 (d) of the RTI Act specifically places an obligation on the Central and State Governments to provide training to public officials. As a priority, all Public Information Officers (PIOs), Appellate Authorities and their facilitation officers need to be fully trained on what their responsibilities are under the law, how to manage applications/appeals and of course, how to apply and interpret the law. The object of the workshop is to appraise the PIOs, Appellate Authorities, Nodal Officers, Law Officers and their facilitating officers about the features of RTI Act, latest judgments of the superior courts and CIC on the subject. The program has been designed keeping in view of the mandatory requirements under the RTI Act that Govt. Departments, PSUs, Boards and Corporations should train their concerned officers on RTI for effective implementation. Needless to add that inapt handling of the RTI requests severely hampers the efficiency of the organization. After the workshop the participants shall have updated themselves in the following aspects:

- Provisions & Procedure under RTI Act, 2005
- Exemptions & Exclusions under the Act
- Personal & third party information under the Act
- Roles & functions of various officials (PIOs, AAs, Nodal Officers, etc.)
- Improvement in the drafting skills to minimize the number of appeals
- Judgments passed by Hon'ble Supreme Court of India, Various High Courts & Information Commissions
- Handling of Online RTI applications

The workshop will be organized on highly participative lines. The training methods will include lectures, group discussions, exercises, presentations, case studies, etc.

**Faculty**

**Sh. Mahabir Singh Kasana** is a renowned trainer in the field of Right to Information. He is former Joint Director of Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training, Government of India. He is accredited as the master trainer by Training Division of DoPT, Govt. of India to train trainers and help public authorities for capacity building. He has developed a training package for RTI which has been distributed to all State Administrative Training Institutes. On RTI, Mr. Kasana has conducted workshops for Appellate Authorities and workshops for PIOs and APIOs. Till date he has conducted more than 400 workshops in which more than 12,000 officers from around 500 organizations have participated. He has contributed to development of various RTI Manuals under capacity building for access to information as part of UNDP project and organized International Training Program on Right to Information for Common wealth countries of Asia Region. Mr. Kasana has also authored book titled as "Right to Information Act- A Comprehensive Guide for Public Authorities to Handle RTI Matters".

**Sh. Apendu Ganguly** is a former Director, Ministry of Defence, Government of India. During his service with Government of India, he has handled various personnel, establishment, administrative, legal and statutory matters. He has also served as full time faculty member with Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training, Government of India. In addition, he is a regular visiting faculty member with Delhi Judicial Academy, Defence Headquarters Training Institute, Defence Research & Development Organization, National Institute of Financial Management, Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training, Government of India etc. He is having huge experience on Right to Information and has conducted a number of workshops on the present subject.

**Participation Fee**:

Single Occupancy– Rs. 64,000/- plus GST @ 18% per participant

Twin Sharing– Rs. 55,000/- plus GST @ 18% per participant

Non-Residential- Rs. 40,000/- plus GST @ 18% per participant

The participation fee for residential participants covers the cost of accommodation, meals & study material of the participants. Spouse/ family members are welcome on additional all-inclusive nominal charges in case nomination of the participant is on single occupancy. Twin Sharing is available only in case even number of participants of same gender from same organization. The participation fee for non- residential participants cover the cost of lunch & study material.

**Venue:** Ramada by Wyndham, Mall Road, Picture Palace, Mussoorie, Uttarakhand-248179

Check In- 03.03.2024 (03:00 P.M.) Check Out- 07.03.2024 (11:00 A.M.)

The workshop will commence at 9:30 A.M. on 04.03.2024 and will conclude at 5:30 P.M. on 06.03.2024. However, there will be an introductory session on 03.03.2024 after all participants had reported at the venue. In case of non-availability of rooms at the Hotel Ramada as on date of nomination, arrangements for stay shall be made in another property closer to the venue.

Nominations may be sent through post/ email by providing participants' name, designation, contact number & e-mail ID along with cheque/ DD in favor of National Academy of Human Resource Development payable at New Delhi. Please note that participation fee is to be paid at the time of nomination. Registration form can be obtained from our website. In case of payment through electronic mode, details are as under:

Name of Beneficiary: National Academy of Human Resource Development

Bank: Kotak Mahindra Bank. A/c No. 8912179265 IFSC Code. KKBK0004620

PAN: AAJFN7963N GSTIN: 07AAJFN7963N1ZF

**For further information or clarification kindly contact:**

**Rohit Agarwal**
Email– rohit@nahrd.in
Phone- +91 9873057803

**Vivek Manchanda**
Email-vivek@nahrd.in
Phone-+91 9650745789

Nomination once confirmed cannot be cancelled, however substitution of participant(s) is allowed. In case any nominated participant is not able to attend the workshop due to any reason and no substitution is made, fees shall still be payable. In case fees have already been paid, same shall be liable to be forfeited.

Limited seats available for the present workshop and hence the nominations will be accepted on first-come-first-serve basis. Organizations are kindly requested to seek confirmation about availability before nominating. Last date for accepting nominations is **16.02.2024**.

You are requested to kindly nominate officers and executives for the present workshop at the earliest and draw maximum benefit from the opportunity.
Thanks & Regards

For NAHRD

In addition, we also request you to consider nominating officers for our other workshops (December 2023 to March 2024). Details are as under:

- **Right to Information** from 13.12.2023 to 16.12.2023 at Port Blair (A&N Islands),
- **Work Life Balance & Leadership Development** from 13.12.2023 to 16.12.2023 at Port Blair (A&N Islands),
- **Corporate Governance** from 13.12.2023 to 16.12.2023 at Port Blair (A&N Islands),
- **Corporate Social Responsibility (CSR)** from 13.12.2023 to 16.12.2023 at Port Blair (A&N Islands),
- **Pay Fixation Rules** from 13.12.2023 to 16.12.2023 at Port Blair (A&N Islands),
- **Goods & Services Tax** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Indian Accounting Standards** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Audit, Accounting & Financial Management** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Contract Management, Dispute Resolution & Arbitration** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Public Procurement with e-Procurement** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Public Private Partnership (PPP)** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Rosters & Reservation in Services** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Insolvency & Bankruptcy Code (IBC)** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Disciplinary Rules & Procedures** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Handling of Court Cases** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Cyber Hygiene & Security** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Emotional Intelligence & Human Factors** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Establishment Rules** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Retirement Planning** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Capacity Building Program for Executive Secretaries, Personal Assistants and AOs** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Organizational Leadership** from 20.02.2024 to 24.02.2024 at Dubai (UAE),

- **Vigilance Administration for CVOs** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Mussoorie (Uttarakhand),
- **Work Life Balance & Leadership Development** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Mussoorie (Uttarakhand),
- **Right to Information Act** 04.02.2024 to 07.02.2024 at Mussoorie (Uttarakhand) and
- **Recruitment Rules, Rosters, Cadre Review and Creation of Posts** 04.02.2024 to 07.02.2024 at Mussoorie (Uttarakhand).

Kindly refer to the detailed brochure for details of any of the workshops mentioned above.

**For further information or clarification kindly contact:**

**Rohit Agarwal**
Email– rohit@nahrd.in
Phone- +91 9873057803

**Vivek Manchanda**
Email-vivek@nahrd.in
Phone-+91 9650745789

NAHRD

Email : info@nahrd.in
Website : www.nahrd.in
Ph. : (011) 41678044/45

Ref: RTI/03/24

20.11.2023

First Appellate Authority (FAA) under RTI Act
Uttarakhand Chief Electoral Officer of Government
4 Subhash Road, North Block, Secretariat, Dehradun,
Uttarkhand-248001

**WORKSHOP ON RIGHT TO INFORMATION ACT AT MUSSOORIE, UTTARAKHAND**

**N**ational **A**cademy of **H**uman **R**esource **D**evelopment (NAHRD) was established to deliver competency-enhancing learning to officials of Central Govt., State Govt., Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies, Banks, Insurance Companies, etc. We have organized large number of workshops in the past, which have been very well attended and appreciated by officials of various organizations.

A workshop on **Right to Information Act** is being organized by NAHRD from **03.03.2024 to 06.03.2024** at **Mussoorie, Uttarakhand**.

Section 26 (d) of the RTI Act specifically places an obligation on the Central and State Governments to provide training to public officials. As a priority, all Public Information Officers (PIOs), Appellate Authorities and their facilitation officers need to be fully trained on what their responsibilities are under the law, how to manage applications/appeals and of course, how to apply and interpret the law. The object of the workshop is to appraise the PIOs, Appellate Authorities, Nodal Officers, Law Officers and their facilitating officers about the features of RTI Act, latest judgments of the superior courts and CIC on the subject. The program has been designed keeping in view of the mandatory requirements under the RTI Act that Govt. Departments, PSUs, Boards and Corporations should train their concerned officers on RTI for effective implementation. Needless to add that inapt handling of the RTI requests severely hampers the efficiency of the organization. After the workshop the participants shall have updated themselves in the following aspects:

- Provisions & Procedure under RTI Act, 2005
- Exemptions & Exclusions under the Act
- Personal & third party information under the Act
- Roles & functions of various officials (PIOs, AAs, Nodal Officers, etc.)
- Improvement in the drafting skills to minimize the number of appeals
- Judgments passed by Hon'ble Supreme Court of India, Various High Courts & Information Commissions
- Handling of Online RTI applications

The workshop will be organized on highly participative lines. The training methods will include lectures, group discussions, exercises, presentations, case studies, role-plays etc.

**Faculty**

**Sh. Mahabir Singh Kasana** is a renowned trainer in the field of Right to Information. He is former Joint Director of Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training, Government of India. He is accredited as the master trainer by Training Division of DoPT, Govt. of India to train trainers and help public authorities for capacity building. He has developed a training package for RTI which has been distributed to all State Administrative Training Institutes. On RTI, Mr. Kasana has conducted workshops for Appellate Authorities and workshops for PIOs and APIOs. Till date he has conducted more than 400 workshops in which more than 12,000 officers from around 500 organizations have participated. He has contributed to development of various RTI Manuals under capacity building for access to information as part of UNDP project and organized International Training Program on Right to Information for Common wealth countries of Asia Region. Mr. Kasana has also authored book titled as "Right to Information Act- A Comprehensive Guide for Public Authorities to Handle RTI Matters".

**Sh. Apendu Ganguly** is a former Director, Ministry of Defence, Government of India. During his service with Government of India, he has handled various personnel, establishment, administrative, legal and statutory matters. He has also served as full time faculty member with Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training, Government of India. In addition, he is a regular visiting faculty member with Delhi Judicial Academy, Defence Headquarters Training Institute, Defence Research & Development Organization, National Institute of Financial Management, Institute of Secretariat Training and Management, Department of Personnel and Training, Government of India etc. He is having huge experience on Right to Information and has conducted a number of workshops on the present subject.

**Participation Fee**:

Single Occupancy– Rs. 64,000/- plus GST @ 18% per participant

Twin Sharing– Rs. 55,000/- plus GST @ 18% per participant

Non-Residential- Rs. 40,000/- plus GST @ 18% per participant

The participation fee for residential participants covers the cost of accommodation, meals & study material of the participants. Spouse/ family members are welcome on additional all-inclusive nominal charges in case nomination of the participant is on single occupancy. Twin Sharing is available only in case even number of participants of same gender from same organization. The participation fee for non- residentiai participants cover the cost of lunch & study material.

**Venue:** Ramada by Wyndham, Mall Road, Picture Palace, Mussoorie, Uttarakhand-248179

Check In- 03.03.2024 (03:00 P.M.) Check Out- 07.03.2024 (11:00 A.M.)

The workshop will commence at 9:30 A.M. on 04.03.2024 and will conclude at 5:30 P.M. on 06.03.2024. However, there will be an introductory session on 03.03.2024 after all participants had reported at the venue. In case of non-availability of rooms at the Hotel Ramada as on date of nomination, arrangements for stay shall be made in another property closer to the venue.

Nominations may be sent through post/ email by providing participants' name, designation, contact number & e-mail ID along with cheque/ DD in favor of National Academy of Human Resource Development payable at New Delhi. Please note that participation fee is to be paid at the time of nomination. Registration form can be obtained from our website. In case of payment through electronic mode, details are as under:

Name of Beneficiary: National Academy of Human Resource Development

Bank: Kotak Mahindra Bank. A/c No. 8912179265 IFSC Code. KKBK0004620

PAN: AAJFN7963N GSTIN: 07AAJFN7963N1ZF

**For further information or clarification kindly contact:**

**Rohit Agarwal**
Email– rohit@nahrd.in
Phone- +91 9873057803

**Vivek Manchanda**
Email-vivek@nahrd.in
Phone-+91 9650745789

Nomination once confirmed cannot be cancelled, however substitution of participant(s) is allowed. In case any nominated participant is not able to attend the workshop due to any reason and no substitution is made, fees shall still be payable. In case fees have already been paid, same shall be liable to be forfeited.

Limited seats available for the present workshop and hence the nominations will be accepted on first-come-first-serve basis. Organizations are kindly requested to seek confirmation about availability before nominating. Last date for accepting nominations is **16.02.2024**.

You are requested to kindly nominate officers and executives for the present workshop at the earliest and draw maximum benefit from the opportunity.
Thanks & Regards

For NAHRD

In addition, we also request you to consider nominating officers for our other workshops (December 2023 to March 2024). Details are as under:

- **Right to Information** from 13.12.2023 to 16.12.2023 at Port Blair (A&N Islands),
- **Work Life Balance & Leadership Development** from 13.12.2023 to 16.12.2023 at Port Blair (A&N Islands),
- **Corporate Governance** from 13.12.2023 to 16.12.2023 at Port Blair (A&N Islands),
- **Corporate Social Responsibility (CSR)** from 13.12.2023 to 16.12.2023 at Port Blair (A&N Islands),
- **Pay Fixation Rules** from 13.12.2023 to 16.12.2023 at Port Blair (A&N Islands),
- **Goods & Services Tax** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Indian Accounting Standards** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Audit, Accounting & Financial Management** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Contract Management, Dispute Resolution & Arbitration** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Public Procurement with e-Procurement** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Public Private Partnership (PPP)** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Rosters & Reservation in Services** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Insolvency & Bankruptcy Code (IBC)** from 17.01.2024 to 20.01.2024 at Jaipur (Rajasthan),
- **Disciplinary Rules & Procedures** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Handling of Court Cases** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Cyber Hygiene & Security** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Emotional Intelligence & Human Factors** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Establishment Rules** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Retirement Planning** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Capacity Building Program for Executive Secretaries, Personal Assistants and AOs** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Pondicherry,
- **Organizational Leadership** from 20.02.2024 to 24.02.2024 at Dubai (UAE),

- **Vigilance Administration for CVOs** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Mussoorie (Uttarakhand),

- **Work Life Balance & Leadership Development** from 04.02.2024 to 07.02.2024 at Mussoorie (Uttarakhand),

- **Right to Information Act** 04.02.2024 to 07.02.2024 at Mussoorie (Uttarakhand) and

- **Recruitment Rules, Rosters, Cadre Review and Creation of Posts** 04.02.2024 to 07.02.2024 at Mussoorie (Uttarakhand).

Kindly refer to the detailed brochure for details of any of the workshops mentioned above.

**For further information or clarification kindly contact:**

**Rohit Agarwal**
Email– rohit@nahrd.in
Phone- +91 9873057803

**Vivek Manchanda**
Email-vivek@nahrd.in
Phone-+91 9650745789

(4) राजीव अग्रवाल पुत्र धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा आखिरी चुनाव विधानसभा निर्वाचन हेतु लड़ने का वर्ष सूचित करने का कष्ट करें।

(5) महोदय श्री राजीव अग्रवाल द्वारा अब तक काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के चुनाव हेतु प्रत्याशी के रूप में दाखिल नामांकन पत्र की सत्यापित छाया प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।

महोदय नामांकन पत्र के साथ राजीव अग्रवाल द्वारा जमा किए गए समस्त सलंग्नक की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

महोदय यह सूचना अभी तक राजीव अग्रवाल द्वारा दाखिल किए गए समस्त नामांकन पत्र जो की विधानसभा चुनाव हेतु दाखिल किए गए हैं सभी नामांकन पत्र एवं सभी सलगंनक की सत्यापित छाया प्रति आप द्वारा उपलब्ध कराई जानी है।

महोदय कृपया उपरोक्त समस्त सूचना निम्न पति पर भेजने का कष्ट करे।

भवदीय

Lakshya

लक्ष्य अग्रवाल

108 स्ट्रीट 6

लेन सख्या २

राजेंद्र नागर

देहरादून-

मोबाइल नंबर 8755 8077 36

**कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़**

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स न0 (0135) -2713724 फोन न0(0135) – 2713551

संख्या 2182/XXV–12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 09 नवम्बर, 2023

सेवा में,

श्री किशन सिंह,
ग्राम पत्तापानी
पोस्ट बैलपडाव
जिला नैनीताल।

**विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री किशन सिंह ग्राम पत्तापानी पोस्ट बैलपडाव जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड, आपका अनुरोध पत्र दिनांक 30.10.2023 जो इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, में मांगी गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है–

| बिन्दु सख्या– | सूचना का विवरण |
|---|---|
| बिन्दु–01 | उत्तराखण्ड पुर्नगठन के उपरान्त |
| बिन्दु–02 | मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, नवल किशोर रोड़ हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश |
| बिन्दु–03एवं 4 | 5–पेज अधिनियम 1950 |
| बिन्दु–05 | 5–पेज कार्मिकों का विवरण एव उनसे संबंधित कार्य की सूची |
| बिन्दु–06 | 1–पेज निर्वाचन विभाग से संबंधित कार्यालयों के नाम एवं पता |
| बिन्दु–07 | अभिलेख कार्यालय में धारित नही है। |

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है

**संलग्न–यथोपरि।**

**अपीलीय अधिकारी का पता**
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0न0–9897995591

भवदीय,

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0–9411740189

[1][परन्तु वर्ष 1989 में इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में,"अर्हता की तारीख" 1989 की अप्रैल का पहला दिन होगी ।]]

**15. हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली**—हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी ।

**16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं**—(1) यदि कोई व्यक्ति—

(क) भारत का नागरिक नहीं है ; अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट [2]*** आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित हैं,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है :

[3][परन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ।]

**17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा**—एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए [4]*** निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

**18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा**—किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

[5][**19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें**—इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो—

(क) अर्हता की तारीख को [6][अठारह वर्ष] से कम आयु का नहीं है; तथा

(ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा ।]

**20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ**—[7][(1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

(1क) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।

---

1. 1989 के अधिनियम सं0 21 की धारा 3 द्वारा (28-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
2. 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा "और अवैध" अंतःस्थापित शब्दों का 1960 के अधिनियम सं0 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा (23-12-1950 से) तत्पश्चात् लोप किया गया।
3. 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा (23-12-1950 से) अंतःस्थापित ।
4. 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 12 द्वारा "उसी राज्य में" अंतःस्थापित शब्दों का 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 6 द्वारा तत्पश्चात् लोप किया गया।
5. 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 7 द्वारा (30-12-1958 से) धारा 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1989 के अधिनियम सं0 21 की धारा 4 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 8 द्वारा (30-12-1958 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

**27ङ [निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमित आदेशों की प्रक्रिया ।]**---लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 21 द्वारा निरसित ।

**27च. [राज्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली ।]**---लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 22 द्वारा निरसित ।

**27छ. कतिपय निरर्हताओं के लिए निर्वाचकगण की सदस्यता का पर्यवसान**---यदि वह व्यक्ति, जो किसी निर्वाचकगण का सदस्य है, संसद् की सदस्यता के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन ऐसी किसी विधि के उपबंधों के अधीन हो जाए जो संसद् के निर्वाचनों में सम्बद्ध भ्रष्ट और अवैध आचरणों और अन्य धाराओं के संबंध में है तो वह ऐसा होने पर उस राज्य निर्वाचकगण का सदस्य नहीं रह जाएगा ।

**27ज. संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थानों को भरने की रीति**---किसी [1][संघ राज्यक्षेत्र] [2]*** को संविधान की [3]*** चतुर्थ अनुसूची में आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को [4][उस राज्यक्षेत्र] [5]*** के लिए निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति या व्यक्तियों से भरा जाएगा :

[6][परन्तु जो व्यक्ति संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1953 के प्रारम्भ के अव्यवहितपूर्व मणिपुर और त्रिपुरा के भाग ग राज्यों को आबंटन में मिले स्थान को धारण किए हुए है उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि वह त्रिपुरा के संघ राज्यक्षेत्रों के आबंटन में मिले स्थान को ऐसे प्रारम्भ से ही भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है ।]

**27झ. [राज्य सभा के लिए अजमेर और कुर्ग राज्यों और मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के स्थान भरने के लिए विशेष उपबंध ।]**---विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा निरसित ।

**27ञ. निर्वाचकगणों में रिक्तियां होते हुए भी उनका निर्वाचन करने की शक्ति**---किसी निर्वाचकगण [7]*** के सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी निर्वाचन ऐसे गण की सदस्यता में किसी रिक्ति के विद्यमान होने के आधार पर ही प्रश्नगत न किया जाएगा ।

**27ट. [कुछ राज्यों के लिए जिनके लिए विधान सभाएं बनाई गई हैं, निर्वाचकगण ।]**---विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा निरसित ।

## भाग 5

## साधारण

**28. नियम बनाने की शक्ति**---(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम[8] निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किन्हीं के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

[9][(क) मामूली तौर से निवास की धारा 20 की उपधारा (7) के अधीन अवधारण ;

(कक) निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां ;]

(ख) निर्वाचक नामावलियाँ [10]*** का प्रारंभिक प्रकाशन ;

---

1. विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ग" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा "या ऐसे राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया ।
3. विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
4. विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा "ऐसा राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 23 द्वारा (1-3-1956 से) "या राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया ।
6. विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा अंतःस्थापित ।
7. 1951 के अधिनियम सं0 49 की धारा 44 और पांचवीं अनुसूची द्वारा (6-9-1951 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
8. आगे जिल्द 2 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 देखिए ।
9. 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 12 द्वारा (14-12-1966 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
10. 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 9 द्वारा (23-12-1950 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

**13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया—**[1]* * * *

(3) [2]*** धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया हर आदेश अपने किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे उपान्तरों के अध्यधीन रहेगा जैसे संसद् उस तारीख से, जिसको आदेश ऐसा रखा गया है, बीस दिन के भीतर किए गए प्रस्ताव पर करे ।

[3][भाग 2क

## आफिसर

**13क. मुख्य निर्वाचन आफिसर**–(1) हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन आफिसर होगा जो सरकार का ऐसा आफिसर होगा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

(2) निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन आफिसर राज्य में इस अधिनियम के अधीन वाली सब निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा ।

[4][**13कक. जिला निर्वाचन आफिसर**–(1) [5]*** किसी राज्य में हर एक जिले के लिए निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन आफिसर को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो सरकारी आफिसर होगा :

परंतु निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा । यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक आफिसर द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता ।

(2) जहां कि किसी जिले के लिए उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं, वहां निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन आफिसरों को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसकी बाबत हर एक ऐसा आफिसर अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

(3) मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के सब संसदीय, सभा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा ।

(4) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा, जैसे उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं ।

**13ख. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर**– (1) [6][[7][ जम्मू-कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें विधान सभा नहीं है,] हर एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक सभा निर्वाचन-क्षेत्र] और हर एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का वह आफिसर होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के, जिसके राज्य में वह निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

---

1. 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 8 द्वारा (1-3-1956 से) उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया गया ।
2. 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 8 द्वारा (1-3-1956 से) "धारा 6, धारा 9," शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।
3. 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 9 द्वारा (1-3-1956 से) अंतःस्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 5 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित ।
5. 2004 के अधिनियम सं0 2 की धारा 2 द्वारा (29-10-2003 से) "संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न" शब्दों का लोप किया गया ।
6. 1956 के अधिनियम सं0 103 की धारा 65 द्वारा (1-1-1957 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 6 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) लोक सभा के और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात् प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे ।

(5) संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे :

परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(6) जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल [1]*** निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

**325. धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना**—संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक-नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा ।

**326. लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना**—लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम [2][अठारह वर्ष] की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त-विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा ।

**327. विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति**—इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् समय-समय पर, विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक-नामावली तैयार कराना, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगा ।

**328. किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति**—इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और जहां तक संसद् इस निमित्त उपबंध नहीं करती है वहां तक, किसी राज्य का विधान-मंडल समय-समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक-नामावली तैयार कराना और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगा ।

**329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन**—[3][इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी [4]***—]

---

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।
2. संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 2 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 द्वारा (10-8-1975 से) "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 35 द्वारा (20-6-1979 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया।

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ;

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[1] द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

[2][स्पष्टीकरण---इस खंड के प्रयोजनों के लिए] कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

[3][(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

[4][**192. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय**---(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।]

**193. अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति**---यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निरर्हित कर दिया गया हूं या संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी ।

* * * * * * *

## भाग 15

## निर्वाचन

**324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना**---(1) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण [5]*** एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है) ।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा इस निमित बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ।

(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

---

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 7 आगे भाग 2 में देखिए ।
2. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) "(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) अंतःस्थापित ।
4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 192 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 की धारा 2 द्वारा (11-12-1966 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

बिन्दु सं० 5


# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724


संख्याः 1896 /XXV–120/2013 देहरादून : दिनांक 06 अक्टूबर, 2023

**"कार्यालय आदेश"**

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड में कार्मिकों के मध्य कार्य विभाजन आदेश संख्या 120/XXV-120/2013 दिनांक 07 फरवरी, 2023 एवं कार्यालय आदेश संख्या–3541/ XXV-120/2013 में आंशिक संशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से अनुभाग अधिकारियों, समीक्षा अधिकारियों एवं सहायक समीक्षा अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायकों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता हैः–

| अनुभाग अधिकारी का नाम | कार्मिक का नाम | आवंटित कार्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| श्री बसन्त सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी अनुभाग–1 | श्री गजेन्द्र प्रसाद, समीक्षा अधिकारी | **अधिष्ठान**<br>1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी आदि की तैनाती से सम्बन्धित कार्य<br>2. विभाग में पदों का सृजन एवं सेवा नियमावली का सम्पूर्ण कार्य<br>3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के कार्मिकों की नियुक्ति/पदोन्नति/ए.सी.पी./स्थानान्तण/सेवा निवृत्ति आदि से सम्बन्धित कार्य<br>4. कार्मिकों के सेवा अभिलेखों, सामान्य भविष्य निधि/ई.पी.एफ. सम्बन्धित अभिलेखों को अद्यतन करना एवं उनका रख रखाव<br>5. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा, उपार्जित एवं आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी कार्य।<br>6. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य कार्य यदि कोई हों।<br>**एम.पी.आर. (MPR)**<br>मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय स्तर पर सम्पादित कार्यों की साप्ताहिक एवं मासिक प्रगति से सम्बन्धित कार्य<br>**लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन**<br>1. निर्वाचन की प्रारम्भिक तैयारियॉ<br>2. निर्वाचन की घोषणा के उपरान्त अधिसूचना जारी करना, नाम निर्देशन, जॉच, नाम वापसी तथा निर्वाचन लड़के वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना<br>3. मतपत्रों की छपाई, डाक मतपत्रों का प्रेषण आदि समस्त कार्य<br>4. MCMC के गठन एवं उनसे सम्बन्धित कार्य<br>5. निर्वाचन में प्रयुक्त हल्के, भारी वाहनों की व्यवस्था<br>6. विभिन्न अनुमति (राजनीतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों) से संबंधित कार्य<br>7. वेवकास्टिंग से सम्बन्धित कार्य<br>8. निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों, शिक्षकों आदि के कल्याण से सम्बन्धित कार्य<br>9. आदर्श आचार संहिता (MCC) से सम्बन्धित कार्य<br>10. कानून एवं व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य<br>11. प्रभारी/सहायक प्रभारी अधिकारी, जोनल/सैक्टर मजिस्ट्रेट, मतदान/ |

–2–

| | | |
|---|---|---|
| | | मतगणना कार्मिकों तथा माइक्रो आब्जर्बर की नियुक्ति से सम्बन्धित कार्य<br>12. आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य/पुलिस/व्यय प्रेक्षकों से संबंधित कार्य<br>13. निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित कार्य<br>14. मतदान एवं मतगणना से संबंधित कार्य<br>15. पुलिस एवं केन्द्रीय सुरक्षा बलों से सम्बन्धित कार्य<br>16. निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न शिकायतों से संबंधित कार्य<br>17. मतगणना भवनों, मतगणना केन्द्रों, स्ट्रांग रूम से संबंधित कार्य<br>18. समस्त प्रकार की शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही।<br>**राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एवं राज्य सभा निर्वाचन**<br>आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्य सभा के निर्वाचन सम्बन्धी समस्त कार्य<br>श्री गजेन्द्र प्रसाद, समीक्षा अधिकारी के साथ श्रीमती पूनम मनोड़ी, क0सहायक, उक्त कार्यों का सम्पादन करेंगी। |
| श्री बसन्त सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी अनुभाग–1 | श्रीमती पूनम मनोड़ी | **सूचना का अधिकार अधिनियम**<br>1. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं को नियमानुसार सम्बन्धित को उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी कार्य<br>2. सूचना का अधिकार से सम्बन्धित समस्त पंजिकाओं को निर्धारित प्रारूपों में तैयार कर उनके रख रखाव से संबंधित कार्य<br>**अन्य कार्य जो समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे जाय।** |
| श्री बसन्त सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी अनुभाग–1 | श्री हिमांशु नेगी, क0स0 | श्री हिमांशु नेगी, क0स0 कार्यालय आदेश संख्या–120 दिनांक 07 फरवरी 2018 के द्वारा स्वीप सम्बन्धी विभिन्न कार्य (बजट को छोड़कर) का निर्वहन नोडल अधिकारी SVEEP एवं अनुभाग अधिकारी–1 में निर्देशन में समय पर सम्पादित करेंगें।<br>**अन्य कार्य जो समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे जाय।** |
| श्री बसन्त सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी अनुभाग–1 | श्री दीप चन्द्र जोशी, सहायक समीक्षा अधिकारी | **1–निर्वाचक नामावली व फोटो मतदाता पहचान पत्र**<br>1. आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य<br>2. मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी से सम्बन्धित कार्य<br>**2– सर्विस निर्वाचक नामावली**<br>सर्विस निर्वाचक नामावली की तैयारी से सम्बन्धित कार्य<br>**3– मतदेय स्थल**<br>मतदेय स्थलों के Rationalisation से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर, निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बी.एल.ओ. सुपरवाईजर आदि की नियुक्ति सम्बन्धी कार्य।<br>**4– प्रशिक्षण एवं बैठक**<br>1. आयोग के दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य<br>2. विभिन्न बैठकों, वीडियो कान्फ्रेन्स से सम्बन्धित कार्य एवं उनसे सम्बन्धित कार्यवृत्त |

-3-

| | | |
|---|---|---|
| | | **5— मा. न्यायालय सम्बन्धी कार्य**<br>विभिन्न न्यायालयों यथा मा. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अभिकरणों आदि में दायर वादों से सम्बन्धित समस्त कार्य।<br>**6— वी.आई.पी. एवं प्रोटोकॉल से संबंधित कार्य**<br>अन्य कार्य जो समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे जाय।<br>श्री सुनील कुमार निगम जो मुख्य निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन के सम्पादनार्थ सम्बद्ध हैं। सम्बद्धता अवधि में उक्तानुसार 4 के बिन्दु–1 एवं 2 से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करेंगें तथा आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारियों आदि के दिशा निर्देशानुसार विभिन्न बैठकों, वीडियो कान्फ्रेन्स एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित करेंगें। उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्य को सम्पादित करेंगे। |
| 1–श्री रविन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी, अनुभाग–2 | मोहन सिंह कार्की, समीक्षा अधिकारी | **1— आय–व्ययक, लेखा एवं भुगतान से सम्बन्धित कार्य**<br>1. विभागीय अनुदान संख्या–05, लेखा शीर्षक 2015–निर्वाचन आयोजनेत्तर के अन्तर्गत आय–व्ययक तैयार कर प्रस्तुत करना<br>2. आवश्यकतानुसार अनुपूरक बजट तैयार करना, आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार यथा समय पुनर्विनियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करना<br>3. अपरिहार्य आवश्यकता पड़ने पर राज्य आकस्मिकता निधि से बजट की व्यवस्था करना और नियमानुसार उसी वित्तीय वर्ष में समायोजन का प्रस्ताव तैयार करना<br>4. विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को विभिन्न मदों में बजट आवंटन, उसका समुचित लेखा रखना, विभागीय आय–व्ययों का मासिक, त्रैमासिक व्यय विवरण तैयार कर प्रस्तुत करना एवं महालेखाकार कार्यालय से मिलान करने का सम्पूर्ण कार्य<br>5. भारत सरकार से निर्वाचन व्ययों की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित कार्य<br>6. बजट पंजिका अभिलेख अद्यावधिक रखना<br>7. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के देयकों को तैयार करना एवं उनका समय से आहरण वितरण से संबंधित कार्य<br>8. समस्त प्रकार के देयकों की पंजिकाओं यथा बिल पंजिका–11, कोषागार पंजिकाओं बिल बाउचर आदि को तैयार करना एवं उनका समुचित रख–रखाव<br>9— कार्यालय के विभिन्न कार्यो हेतु (**SVEEP**) सहित निविदा सम्बन्धी समस्त कार्य<br>क्रमांक–9 पर उल्लिखित कार्य श्री मोहन सिंह कार्की, समीक्षा अधिकारी के साथ श्री दीपचन्द्र जोशी, सहायक समीक्षा अधिकारी भी सम्पन्न करेंगें।<br>**2— सम्परीक्षा (Audit)**<br>1. विभागीय लेखा सम्परीक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य<br>2. भारत सरकार को सम्परीक्षा प्रमाण पत्र (Audit Certificate) प्रेषण<br>3— **SVEEP** :-आयोग से स्वीप मद में प्राप्त धनराशि का नियमानुसार सम्बन्धित को भुगतान एवं तद्संबंधी पंजिकाओं को अद्यावधिक रखना।<br>4— परिसीमन संबंधी कार्य।<br>5— अन्य कार्य जो समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे |

| | | |
|---|---|---|
| | | जाय।<br>श्री हिमांशु नेगी, कार्यालय आदेश संख्या–120 दिनांक 07 फरवरी 2018 में सौंपे गये दायित्वों के साथ–साथ स्वीप सम्बन्धी विविध कार्यों के साथ–साथ श्री मोहन सिंह कार्की, समीक्षा अधिकारी के साथ उनके निर्देशन पर उल्लिखित कार्यो को भी सम्पादित करेंगे। |
| 1–श्री रविन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी–2 | श्री दीप चन्द्र जोशी, सहायक समीक्षा अधिकारी | **EVM & VVPAT**<br>1. आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ई.वी.एम. एवं वी.वी.पी.ए.टी. का समुचित एवं सुरक्षित भण्डारण/भवन–गोदाम से संबंधित कार्य।<br>2. आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ई.वी.एम. एवं वी.पी.पी.ए.टी. की EMS में डाटा इन्ट्री एवं तत्सम्बन्धी सूचनाओं का आदान–प्रदान एवं तद्विषयक समस्त कार्य<br>3. आयोग एवं ई.सी.आई.एल. से समय–समय पर आवश्यकतानुसार समन्वय<br>4. ई.वी.एम. एवं वी.वी.पी.ए.टी.की एम पी आर सम्बन्धी कार्य<br>**सॉफ्टवेयर (Software)**<br>आयोग के माध्यम एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्तर पर ERO Net एवं ई.पी.आई.सी. सॉफ्टवेयर संचालन एवं एन.आई.सी. से आवश्यक समन्वय।<br>**विविध कार्य (Miscellaneous Work)**<br>1– मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हेतु समस्त प्रकार की लेखन सामग्री, प्रपत्रों तथा टोनर कार्टेज आदि की व्यवस्था एवं समस्त प्रकार की सामग्री एवं उपकरणों के नियमानुसार कय से सम्बन्धित समस्त कार्य<br>2–स्टाक पंजिकाओं का अद्यावधिक रख–रखाव<br>3–विभागीय वाहनों हेतु ईधन आपूर्ति, रख–रखाव एवं अनुरक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य<br>4–कार्यालय फर्नीचर/साज सज्जा, कम्प्यूटर सहवर्ती उपकरण, प्रिन्ट्र, फैक्स तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था एवं रख रखाव<br>5–विभिन्न विभाग/कार्यालयों से प्राप्त सन्दर्भ आदि से सम्बन्धित कार्य एवं समन्वय का सम्पूर्ण कार्य<br>6–कार्यालय भण्डार का रख–रखाव<br>7– विभिन्न कार्यो हेतु निविदा आदि का कार्य।<br>श्री रामप्रीत गौड़, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय आदेश सं0–120 दिनांक 07 फरवरी 2018 में आवंटित कार्यों के साथ–साथ श्री दीप चन्द्र जोशी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ उनके निर्देशों के अनुसार उपरोक्त विविध कार्य भी सम्पादित करेंगें। |

1– श्री मोहन सिंह कार्की, समीक्षा अधिकारी अनुभाग अधिकारी–2 के मार्ग–निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा सभी पत्रावलियां अनुभाग अधिकारी–2 के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

2– श्री गजेन्द्र प्रसाद, समीक्षा अधिकारी–अनुभाग अधिकारी–1 के मार्ग–निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा सभी पत्रावलियां अनुभाग अधिकारी–1 के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

3– श्री दीप चन्द्र जोशी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी अनुभाग–1 एवं 2 पत्रावलियां सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी–1 एवं 2 के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

4– श्रीमती पूनम मनोड़ी, कनिष्ठ सहायक सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य सम्पादित करेंगें एवं श्री गजेन्द्र प्रसाद, समीक्षा अधिकारी को सौंपे गये कार्यों का सम्पादन भी उनके निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में सम्पादित करेंगें करेंगे।

5– श्री रामप्रीत गौड़, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय आदेश सं0–120 दिनांक 07 फरवरी 2018 में आवंटित कार्यों के साथ–साथ श्री दीप चन्द्र जोशी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ उनके मार्ग–निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

6– श्री हिमांशु नेगी, कार्यालय आदेश संख्या–120 दिनांक 07 फरवरी 2018 में सौंपे गये दायित्वों के साथ–साथ स्वीप सम्बन्धी विविध कार्यों के साथ–साथ श्री मोहन सिंह कार्की, समीक्षा अधिकारी के साथ उनके निर्देशन पर उल्लिखित कार्यो को भी सम्पादित करेंगे।

7– श्री राजेन्द्र प्रसाद उनियाल, व0प्र0अ0, राजस्व परिषद जो इस कार्यालय में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 तक सम्बद्ध हैं, वे अनुभाग–1 एवं 2 में अनुभाग अधिकारियों के निर्देशन में कार्य सम्पादित करेंगें।

8– श्री बसन्त सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी–1 एवं श्री रविन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी–2 परस्पर एक दूसरे के लिंक अधिकारी होंगे।

9– श्री मोहन सिंह कार्की, समीक्षा अधिकारी–1 एवं श्री गजेन्द्र प्रसाद, समीक्षा अधिकारी–2 परस्पर एक दूसरे के लिंक अधिकारी होगें।

उक्त के अतिरिक्त कार्यालय आदेश संख्या–120/XXV-120/2018 दिनांक 07 फरवरी, 2018 द्वारा निर्गत शेष कार्य विभाजन यथावत रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के समस्त अधिकारी/कार्मिक उक्त आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्याः /XXV–120/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2– संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी–1 एवं 2, उत्तराखण्ड।
3– उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– अनुभाग अधिकारी एक एवं दो।
6– उपरोक्त समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी/कनिष्ठ सहायक।
7– गार्ड फाईल।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

बिन्दु सं० 6

| जिला निर्वाचन कार्यालय का पता एवं अन्य विवरण दूरभाष नम्बर कार्यालय/मो.नं. | जिला निर्वाचन कार्यालय का पता एवं अन्य विवरण दूरभाष नम्बर कार्यालय/मो.नं. |
|---|---|
| जिला निर्वाचन कार्यालय, उत्तरकाशी<br>पो0–उत्तरकाशी, पिन कोड– 249193<br>दूरभाष–01374–222177 | जिला निर्वाचन कार्यालय, पिथौरागढ़,<br>पो0–पिथौरागढ़, पिन कोड–262501<br>दूरभाष–05964–225236 |
| जिला निर्वाचन कार्यालय, चमोली (गोपेश्वर)<br>पो0–गोपेश्वर, पिन कोड– 246401<br>दूरभाष–01372–252139 | जिला निर्वाचन कार्यालय, बागेश्वर,<br>पो0–बागेश्वर, पिन कोड– 263642<br>दूरभाष–05963–220380, |
| जिला निर्वाचन कार्यालय, रूद्रप्रयाग<br>पो0–रूद्रप्रयाग, पिन कोड– 246171<br>दूरभाष–01364–233352 | जिला निर्वाचन कार्यालय, अल्मोड़ा<br>पो0–धारानौला, पिन कोड–263601<br>दूरभाष–05962–230010 |
| जिला निर्वाचन कार्यालय, टिहरी गढ़वाल<br>पो0–नई टिहरी, पिन कोड– 249001<br>दूरभाष–01376–232164 | जिला निर्वाचन कार्यालय, चम्पावत<br>पो0–चम्पावत, पिन कोड–262523<br>दूरभाष–05965–230296 |
| जिला निर्वाचन कार्यालय, देहरादून,<br>कचहरी कम्पाउण्ड, देहरादून<br>पो0–देहरादून, पिन कोड–248001<br>दूरभाष–0135–2624216 | जिला निर्वाचन कार्यालय, नैनीताल,<br>पो0–तल्लीताल पिन कोड– 263001<br>दूरभाष–05942–235284 |
| जिला निर्वाचन कार्यालय, हरिद्वार।<br>रोशनाबाद, हरिद्वार।<br>पो0–देहरादून, पिन कोड– 249403<br>दूरभाष–01334–239942 | जिला निर्वाचन कार्यालय, ऊधम सिंह नगर<br>पो0–रूद्रपुर, पिन कोड– 263153<br>दूरभाष–05944–246787 |
| जिला निर्वाचन कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल<br>पो0–पौड़ी, पिन कोड–246001<br>दूरभाष–01368–222217 | **मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड**<br>**विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,**<br>**4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर,**<br>**देहरादून–248001**<br>फोन न0 (0135) –2713551 |

**भारत निर्वाचन आयोग,**
**निर्वाचन सदन,**
**अशोक रोड़, नई दिल्ली 110001**
**फोन न0 (011) –23052070**

प्रस्त
30/10/23

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कार्यालय- विश्व कर्मा भवन, प्रथम तल
उत्तराखन्ड सचिवालय
देहरादून, पिन कोड नम्बर – 248001

विषय– 1– मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का उत्तराखन्ड सचिवालय में स्थापना होने का समय का वर्णन किया जाय। उत्तराखण्ड पुनर्गठन से

अधिकारी कार्यालय में धारित नहीं

2– यहाँ पर स्थापित होने से पहले यह कार्यालय जहाँ पर भी था उस स्थान का पता तथा सम्पर्क नम्बर यदि वहाँ का उपलब्ध है तो दिया जाय। — क्रमांक 1 ही विधानसभा

3– मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कार्यक्षेत्र की सीमा का वर्णन किया जाय। प्रदेश

4– मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिन विषयों के बारे में कार्य किया जाता है उनका प्रत्येक का वर्णन विस्तार से किया जाय तथा उदाहरण सहित कई विषयों का ब्यौरा दिया जाय,

5– मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में काम करने वाले सभी छोटे तथा बड़े कर्मचारियों का नाम, पद तथा सम्पर्क नम्बर तथा उनके द्वारा किये जाने कार्य का प्रथक प्रथक वर्णन किया जाय।

work count

6– मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से उत्तराखन्ड प्रदेश में यदि छोटे कार्यालय या शाखा कार्यालय हैं। और केन्द्र सरकार के जो भी बड़े कार्यालय देश की राजधानी दिल्ली क्षेत्र में हैं तो विवरण दिया जाय उनका पता तथा उस कार्यालय का सम्पर्क नम्बर दिया जाय,

Ph No

7– सरकार द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को यदि कोई अधिकार दिये हैं तो उनका भी वर्णन किया जाय। कार्यालय में धारित नहीं

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम – पत्तापानी डाकघर – बैलपड़ाव जिला – नैनीताल का रहने वाला है। प्रार्थी सूचना के अधिकार का प्रार्थना पत्र लिख कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय से सम्बन्धित सभी बातों की जानकारी चाहता है। आशा है कि श्रीमान लोक सूचना अधिकारी जानकारी देंगे।
इसके अलावा अपीलीय अधिकारी का पद, कार्यालय का पता तथा फोन नम्बर भी दिया जाय। लोक सूचना अधिकारी का सम्पर्क नम्बर दिया जाय।

प्रार्थी - किशनसिंह
ग्राम - पत्तापानी
डाकघर - बैलपड़ाव
जिला - नैनीताल
तारीख — २६-१०-२०२३

पोस्टल आर्डर का नम्बर — १डी - २२२७७१७ - कीमत सात रुपया
२बी - ८३४७७१६ - मूल्य दो रुपया
२-२१ - ३८८७७१८ - मूल्य एक रुपया